न्यायालय सहायक कलक्टर (फर्स्ट टैक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 126/2021
अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
बनाम
1. सुभाषचन्द्र पुत्र बाबूराम जाति अग्रवाल साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शाखा प्रबंधक कोटक महिन्द्रा शाखा श्रीगंगानगर

उपस्थित– श्री नरेश जाखड़ (प्रतिवादी)
राज पैरोकार (वादी)

दिनांक 06 मार्च, 2025

–:निर्णय:–

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 वाई के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नं0 1/0, 253, 3/2 की 0.126, 5/1 की 0.215, 8/1 की 0.127, 9 की 0.253, 10 की 0.253, 11 की 0.253, 12 की 0.253, 15/1 की 0.120 हैक्टे0 नहरी इस प्रकार कुल 2.321 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ अकृषि कार्य बिना स्वीकृति संपरिवर्तन करवाये किया जा रहा है। अतः रकबा राज हित में सिवाय चक घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर को अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र 22.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सुभाष चन्द्र द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि मौका पर चक 4 वाई के खाता सं0 170/110 के मुरब्बा नं0 21 के किला नं0 3/1 में 1.127 हैक्टे0, किला नं0 4, 7 में प्रत्येक 0.253 हैक्टे0, किला नं0 8/2 में 0.127 हैक्टे0 में गै0 मु0 भट्टा के नाम दर्ज भमि पर है और मौके पर भट्टा संबंधित कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भट्टा का कार्य उक्त किलाजात में किया जाता है लेकिन कभी–कमार भट्टा कार्य बढ़ जाने के कारण खाली पड़ी कृषि भूमि को उक्त कार्य में प्रयोग लिया जाता है। भूमि को रिसीवर किया जाना एक कठोरतम उपचार है। भूमि रिसीवर किये जाने की कोई परिस्थिति प्रकरण में मौजूद नहीं है। अप्रार्थी अपनी उक्त भूमि को भ–रूपान्तरण करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष अलग से आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2025 को प्रस्तुत कर दिया है और भू–रूपान्तरण करवाने के लिए पावन्द रहेगा। इसलिए अप्रार्थी को समय दिया जाना न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावें। स्टेट जरिये तहसीलदार एवं राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी अगर भूमि संपरिवर्तन करवा कर अकृषि कार्य करे तो प्रकरण खारिज करने में स्टेट को कोई आपत्ति नहीं।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के भू–रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त गत भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। परन्तु इस आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं अतिरिक्त दण्डनायक (फर्स्ट टैक) श्रीगंगानगर

एक कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. अप्रार्थी सुभाष चन्द्र के विरूद्ध इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थी तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपान्तरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05.03.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:13:58 IST
Reason: SelfAttested